रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 24, 2014/वैशाख 4, 1936
No. 221] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 24, 2014/VAISAKHA 4, 1936

IndiaCode

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2014

सा.का.नि. 291 (अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का प्रारुप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप–खंड(i) में, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 120(अ), तारीख 22 फरवरी, 2013 के अधीन प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित रूप में उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां तारीख 22 फरवरी, 2013 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारुप नियमों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सरकार से विचार कर लिया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए ये नियम राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के खंड (प) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु कोई दुपहिया बैटरी प्रचालित यान को कोई मोटर यान नहीं समझा जाएगा यदि उक्त नियमों के नियम 126 में विनिर्दिष्ट किसी परीक्षण अभिकरण द्वारा निम्नलिखित सभी शर्तें सत्यापित और प्राधिकृत नहीं कर दी गई हैं, अर्थात् :--

(क) यान 0.25 किलोवाट से कम की तीस मिनट शक्ति रखने वाली विद्युत मोटर से सुसज्जित है ;

(ख) यान की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा से कम है ;

(ग) यान में यथोचित ब्रेक और प्रति-परावर्तित युक्ति अर्थात्, एक सफेद परावर्तक आगे और एक लाल परावर्तक पीछे फिट है ;

(घ) यान का बिना लदे वजन (बैटरी के वजन को छोड़कर) 60 किलोग्राम से अधिक नहीं है ;

(ङ) पैडल सहायता प्राप्त यान की दशा में उपरोक्त 30 मिनट शक्ति रखने वाली 25 किलोवाट से कम की मोटर के अतिरिक्त सहायक विद्युत मोटर से सुसज्जित हो जो यदि साईकिल चालक पैडल चलाना बंद कर दें तो यान के 25 किलो मीटर प्रति घंटा की गति पर पहुंचने तक या उससे पहले उत्तरोत्तर कम निर्गम होता हो और अंततः बंद हो जाता हो ।"

3. उक्त नियमों के नियम 33 में "व्यौहारी (डीलर)" शब्दों के स्थान पर "मोटरगाड़ी या मोटरगाड़ी के अनुषंगी सामान का व्यौहारी (डीलर) या विनिर्माता या नियम 126 में विनिर्दिष्ट कोई परीक्षण अभिकरण" शब्द, दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं, रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 35 के उप नियम (1) में "व्यौहारी (डीलर)" शब्दों के स्थान पर "मोटरगाड़ी या मोटरगाड़ी के अनुषंगी सामान का व्यौहारी (डीलर) या विनिर्माता या नियम 126 में विनिर्दिष्ट कोई परीक्षण अभिकरण" शब्द रखे जाएंगे ।

5. उक्त नियमों के नियम 39 के उप नियम (1) में "व्यौहारी" शब्द के स्थान पर "मोटरगाड़ी या मोटरगाड़ी के अनुषंगी सामान का व्यौहारी या विनिर्माता या नियम 126 में विनिर्दिष्ट कोई परीक्षण अभिकरण" शब्द रखे जाएंगे ।

6. उक्त नियमों के नियम 101 में, -

(क) 1 अक्तूबर 2014 को या उसके पश्चात् उप नियम (2) में "एआईएस 019/ 2001" और "एआईएस 011/ 2001" शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमशः "भा.म. : 15804- 2008" और "भा.म. : 15802- 2008" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(ख) उप नियम (2क) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2ख) 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् हवा रोक शीशा लगे हुए सभी कृषि ट्रैक्टर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो विशिष्टताओं के अधिसूचित किए जाने के समय तक समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 011/2001 के अनुरूप होंगे" ।

7. उक्त नियमों में, नियम 104ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"104घ. पीछे की नंबर प्लेट फिट करना

1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् विनिर्मित निम्नलिखित प्रवर्ग के यानों पर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो विशिष्टताओं के अधिसूचित किए जाने के समय तक समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 089-2005 के अनुरूप पीछे की नंबर प्लेट फिट की जाएगी :-

(क) 7.5टन से अधिक यान के कुल वजन सहित एन2 और अर्ध-ट्रैलरों के लिए ट्रैक्टरों के अपवाद सहित एन3 ;

(ख) 10 टन से अनधिक कुल वजन वाले ट्रैलर और अर्ध-ट्रैलर जिनकी लंबाई 8 मीटर से अधिक है ;

(ग) 10टन से अधिक कुल वजन वाले ट्रैलर ;

(घ) संलग्न बसें ।"

8. उक्त नियमों के नियम 106 में,-

(अ) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) किसी मोटर यान जिसके अंतर्गत कृषि ट्रैक्टर और संनिर्माण उपस्कर यान भी हैं, सामने प्रकाश डालने वाले किसी हेड लैंप का प्रयोग (चाहे उसमें एकहरा या दोहरा हेड लैंप लगा हो) तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा लैंप इस प्रकार से संनिर्मित, फिट या अनुरक्षित न किया गया हो कि उससे उत्सर्जित प्रकाश का किरण पुंज नियम 124 और नियम 124क के अधीन अधिसूचित क्रमशः सुरक्षा मानको की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो ।" ।

(आ) उप नियम (2) को लोप किया जाएगा ।

9. उक्त नियमों के नियम 117 में उप नियम (2) और उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) 1 अप्रैल, 2015 (नए माडलों की दशा में) और 1 अप्रैल, 2016 (विद्यमान माडलो की दशा में) को या उसके पश्चात् प्रत्येक मोटर यान में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट भा.म. : 11827-2008 की अपेक्षाओं के अनुरूप चालमापी फिट होगा ।

(3) 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक संनिर्माण उपस्कर यान में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट चालमापी से संबद्ध भा.म. : 11827-2008 की अपेक्षाओं के अनुरूप लगा होगा ।"

10. उक्त नियमों के नियम 119 के उप नियम (1) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु 1 अक्तूबर, 2014 को या उसके पश्चात् विनिर्मित यान पर समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट भा.म. : 15796-2008 के अनुसार मोटर यानों के होर्न के लगाने की अपेक्षा होगी ।"

11. उक्त नियमों के नियम 120 में उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" कृषि ट्रैक्टर की दशा में चालक को बोधगम्य शोर स्तर और दर्शक के लिए अनुज्ञेय ध्वनि स्तर के लिए माप परीक्षण, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरों विशिष्टताओं को अधिसूचित किए जाने के समय तक समय -समय पर यथा संशोधित क्रमशः एआईएस-115(भाग 1)-2009 और एआईएस-115 (भाग 2)-2009 के अनुसार किया जाएगा और वह क्रमशः नीचे सारणी 1 और सारणी 2 में यथा विनिर्दिष्ट स्तरों के अनुरूप होगा :

सारणी 1

क्रम सं.	कृषि ट्रैक्टर	क्रियान्वयन की तारीख	चालक को बोधगम्य शोर स्तर
(1)	सभी	1 अप्रैल, 2015	96डीबी(ए)* 92डीबी(ए)**

* एआईएस-115(भाग 1)-2009 के उपाबंध I के अनुसार

** एआईएस-115(भाग 1)-2009 के उपाबंध II के अनुसार

टिप्पण : कृषि ट्रैक्टर विनिर्माता परीक्षण के लिए उपाबंध I या उपाबंध II का विकल्प दे सकेंगे ।

सारणी 2

क्रम संख्यांक	कृषि ट्रैक्टर	क्रियान्वयन की तारीख	दर्शक की स्थिति
(1)	>1.5 टीजीवीडब्ल्यू	1 अप्रैल, 2015	88डीबी(ए)
(2)	>1.5 टीजीवीडब्ल्यू	1 अप्रैल, 2015	85डीबी(ए)

12. 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् उक्त नियमों के नियम 122 में उप नियम (1क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) प्रत्येक कृषि ट्रैक्टर और संनिर्माण उपस्कर यान पर, उस पर समुद्भृत या निक्षारित या पंच किए हुए विनिर्माण के मास और वर्ष सहित पहचान संख्या लगी होगी :

परंतु कृषि ट्रैक्टर की दशा में उस पर समुद्भृत या निक्षारित या पंच किए हुए विनिर्माण के मास और वर्ष सहित पहचान संख्या, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो विशिष्टताओं को अधिसूचित किए जाने तक समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 117-2011 के अनुसार होगी ।" ।

13. 1 अक्तूबर, 2014 को और उसके पश्चात् उक्त नियमों के नियम 124 के उप नियम (1क) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) यान के दौड़ते समय पीछे की सुरक्षा युक्ति की साधारण अपेक्षाएं और यान के पार्श्व सुरक्षा की तकनीकी अपेक्षाएं, उसमें उल्लिखित प्रवर्गों के यानों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट क्रमशः भा.म. : 14812-2005 के अनुसार और भा.म. : 14682-2004 के अनुसार होगी ।" ।

14. 1 अप्रैल, 2015 को और उसके पश्चात् उक्त नियमों के नियम 124 क में,-

(i) उप नियम (1) में "भा.म. : 1606-1979" शब्दों और अंकों के स्थान पर "एआईएस : 034-2010" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(ii) उप नियम (3) में "भा.म. : 7079-1995" शब्दों और अंकों के स्थान पर "भा.म. : 7079-2008" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(iii) 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् उप नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (6) कृषि ट्रैक्टरों की ईंधन टंकी समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस : 104-2008 के अनुरूप होगी ।" ।

(iv) उप नियम (12) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(13) 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् कृषि ट्रैक्टरों की अधिकतम डिजाईन गति एआईएस-116-2009 के अनुसार होगी ।" ।

15. उक्त नियमों के नियम 125 के उप नियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(7) 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् विनिर्मित परिवहन यान और विशेष प्रयोजन यान को छोड़कर प्रवर्ग एम 1 के मोटर यान को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशों तक समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस : 072-2009 में यथाविनिर्दिष्ट कम से कम एक बैठक स्थान पर सभी भार समूहों के लिए बालक अवरोध प्रणाली के कम से कम एक प्रवर्ग का स्थापित का उपबंध होगा :

परंतु बालक अवरोध प्रणाली का विनिर्माता या आयातकर्ता या व्यौहारी ऐसे यान के क्रेता को ऐसी प्रणाली को लगाने और उसके उपयोग के मार्गनिर्देश उपलब्ध कराएगा :

परंतु यह और कि मोटर यान का विनिर्माता या आयातकर्ता या व्यौहारी, ऐसे यानों के लिए सिफारिश की गई स्थिति के लिए मार्गनिर्देश उपलब्ध कराएगा ।

16. उक्त नियमों के नियम 138 में,-

(अ) उप नियम (4) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) मोटर साईकिल से भिन्न यानों की दशा में उपयोग के लिए तैयार एक अतिरिक्त पहिया :

परंतु यानों के एम1 और एन 1 प्रवर्गों की दशा में अस्थायी अतिरिक्त पहिए के उपयोग की अनुज्ञा होगी और यदि ऐसे यान में यथा मानक रन फ्लैट टायर फिट किए गए हैं, उपयोग के लिए तैयार अतिरिक्त पहिए का उपबंध आज्ञापक नहीं होगा" ।

(आ) उप नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

" (6) 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् परिवहन यानों और विशेष प्रयोजन यानों को छोड़कर 1 अक्तूबर, 2014 को या उसके पश्चात् विनिर्मित एम1 प्रवर्ग के मोटर यान का चालक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी यान में ले जाया जा रहा बारह वर्ष तक की आयु का कोई बालक एआईएस:072-2009 के अनुरूप किसी समुचित बालक अवरोध प्रणाली के अनुसार बैठा है ।

17. उक्त नियमों के प्ररूप 16 में क्रम संख्या 4 में "विनिर्माता या व्यौहारी" शब्दों के स्थान पर "मोटरगाड़ी या मोटरगाड़ी के अनुषंगी सामान का विनिर्माता या व्यौहारी या उक्त नियमों के नियम 126 के अधीन विनिर्दिष्ट कोई परीक्षण अभिकरण" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा.सं. आरटी-11028/06/2011-एमवीएल]
संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र सा.का.नि.590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 277 (अ), तारीख 11 अप्रैल, 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2014

G.S.R. 291 (E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 was published, as required under sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R. 120(E), dated the 22nd February, 2013 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the Gazette notification in which the said notification was published were made available to the public on 22nd February, 2013;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 110 of the said Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (5th Amendment) Rules, 2014.

(2) Subject to the other provisions of these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in clause (u), for the proviso, the following shall be substituted, namely:-

"Provided that a two wheeled battery operated vehicle shall not be deemed to be a motor vehicle if all the following conditions are verified and authorised by any testing agency specified in rule 126, namely:—

(a) vehicle is equipped with an electric motor having thirty minute power less than 0.25 kW;

(b) maximum speed of the vehicle is less than 25 km/hr;

(c) vehicle is fitted with suitable brakes and retro-reflective devices, i.e. one white reflector in the front and one red reflector at the rear;

(d) unladen weight (excluding battery weight) of the vehicle is not more than 60 kg;

(e) in case of pedal assisted vehicle equipped with an auxiliary electric motor, in addition to above, the thirty minute power of the motor is less than 0.25 kW, whose output is progressively reduced and finally cut off as the vehicle reaches a speed of 25 km/hr, or sooner, if the cyclist stops pedalling".

3. In the said rules, in rule, 33, for the words "dealer" at both the places where they occur, the words and figures "dealer or manufacturer of automobiles or automobile ancillaries or a test agency specified in rule 126" shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 35, in sub-rule (1), for the words "dealer" the words "dealer or manufacturer of automobile or automobiles ancillary or a test agency specified in rule 126" shall be substituted.

5. In the said rules, in rule 39, sub rule (1) for the word "dealer" the words "dealer or manufacturer of automobile or automobile ancillaries or a test agency specified in rules 126" shall be substituted.

6. In the said rules, in rule 101 -

(a) in sub-rule (2), on and after 1st October, 2014, for the words and figures "AIS 019/2001" and "AIS 011/2001" the words and figures "IS: 15804-2008" and "IS:15802-2008" respectively, shall be substituted;

(b) after sub-rule (2A), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2B) On and after 1st April, 2015, all agricultural tractors having wind screen shall conform to AIS 011/2001, as amended from time to time till such time the corresponding Bureau of Indian Standards specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986). "

7. In the said rules, after rule 104 (C), the following rule shall be inserted, namely:-

"104 D. Fitment of rear marking plate

The following categories of vehicles, manufactured on and after the 1st April, 2015, shall be fitted with rear marking plate, conforming to AIS 089-2005, as amended from time to time, till such time the corresponding Bureau of Indian Standards specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986):-

(a) N2 with gross vehicle weight exceeding 7.5 ton and N3 with the exception of tractors for semi trailers;

(b) trailers and semi-trailers having gross weight not exceeding 10 ton and whose length exceeds 8m;

(c) trailers having gross weight exceeding 10 ton; and

(d) articulated buses".

8. In the said rules, in rule 106, -

(A) for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) No head lamp showing a light to the front shall be used on any motor vehicle including agricultural tractor and construction equipment vehicle (whether fitted with single or dual head lamp) unless such lamp is so constructed, fitted and maintained that the beam of light emitted there from meet the requirements of respective safety standards notified under rule 124 and 124A.

(B) sub-rule (2) shall be omitted.

9. In the said rules, in rule 117, for sub-rules (2) and (3), the following sub-rules shall be substituted, namely: -

"(2) On and after the 1st April, 2015 (in the case of new models) and 1st April 2016 (in the case of existing models), every motor vehicle shall be fitted with a speedometer conforming to the requirements of IS:11827–2008, specified by the Bureau of Indian Standards, as amended from time to time.

(3) On and after 1st April, 2015 every construction equipment vehicle manufactured shall be fitted with a speedometer that shall conform to the requirements of IS 11827-2008 specified by the Bureau of India Standards concerning the speedometer".

10. In the said rules, in rule 119, in sub-rule (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided that vehicles manufactured on and from the 1st October, 2014, the horn installation requirements for motor vehicles shall be as per IS:15796-2008, specified by the Bureau of Indian Standards, as amended from time to time".

11. In the said rules, in rule 120, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) In the case of agricultural tractor, the measurement test for driver perceived noise level and permissible sound level at bystander shall be carried out as per AIS-115 (Part 1)-2009 and AIS-115 (Part 2)-2009 respectively, as amended from time to time till such time the corresponding Bureau of Indian Standards specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) and shall conform to the levels as specified in the Table 1 and Table 2 below :—

TABLE 1

Serial number	Agricultural Tractor	Date of Implementation	Driver-perceived noise level
(1)	All	1st April, 2015	96 dB(A)* 92 dB(A)**

* As per Annexure I of AIS-115 (Part 1)-2009

** As per Annexure II of AIS-115 (Part 1)-2009

Note:- Agricultural Tractor manufacturers may opt for testing as per Annexure I or Annexure II.

TABLE 2

Serial number	Agricultural Tractor	Date of Implementation	Bystander's position
(1)	> 1.5 T GVW	1st April, 2015	88 dB(A)
(2)	< 1.5 T GVW	1st April, 2015	85 dB(A)"

12. On and after 1st April, 2015, in the said rules, in rule 122, for sub-rule (1A), the following shall be substituted, namely:—

"(1A) Every agricultural tractor and construction equipment vehicle shall bear the identification number including month and year of manufacture, embossed or etched or punched on it:

Provided that in case of agricultural tractor the identification number including month and year of manufacture, embossed or etched or punched on it shall be in accordance with AIS 117- 2011, as amended from time to time till the corresponding Bureau of Indian Standards specifications are notified under Bureau of Indian Standards Act,1986 (63 of 1986)".

13. On and after 1st October, 2014, in the said rules, in rule 124, for sub rule (1A), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1A) the general requirements of vehicle rear under run protecting device and the technical requirements of vehicle lateral protection side shall be as per IS:14812-2005 and as per IS:14682-2004, specified by Bureau of Indian standards, respectively, as amended from time to time, for the motor vehicles of categories mentioned therein.".

14. On and after 1st April, 2015, in the said rules, in rule 124A:-

(i) in sub rule (1), for "IS:1606-1979", "AIS:034-2010" shall be substituted;

(ii) In sub-rule (3), for "IS:7079-1995", "IS:7079-2008" shall be substituted.

(iii) On and after 1st April, 2015, for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(6) The fuel tank of agricultural tractors shall conform to AIS: 104-2008, as amended from time to time";

(iv) after sub-rule (12), the following sub-rule shall be inserted namely:-

"(13) On and after 1st April, 2015, for agricultural tractors, the maximum design speed shall be in accordance with AIS-116-2009.".

15. In the said rules, in rule 125, after sub-rule (6), the following shall be inserted, namely:-

"(7) Motor vehicles of category M1 excluding transport vehicles and special purpose vehicles manufactured on and after 1st April, 2015, shall have a provision for installation of at least one category of child restraint system for all weight groups on at least one of the seating positions, as specified in AIS: 072-2009, as amended from time to time, till the corresponding Bureau of Standards specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986):

Provided that the manufacturer or importer or dealer of the child restraint system shall provide the guidelines for fitment and use of such system to the buyer of such vehicles:

Provided further that for such vehicles, vehicle manufacturer or importer or dealer of the motor vehicle shall provide the guidelines for recommended position in the vehicle".

16. In the said rules, in rule 138,-

(A) in sub-rule (4), for clause (a), the following shall be substituted, namely:-

"(a) in case of vehicles other than motorcycles, a spare wheel ready for use:

Provided that in case of M1 and N1 categories of vehicles, use of temporary use spare wheel shall be permitted and the provision of ready to use spare wheel shall not be mandatory, if such vehicles are fitted with run flat tyres as standard."

(B) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(6) On and after 1st April 2016, the driver of motor vehicle of M1 category, manufactured on and after 1st October 2014, excluding transport vehicles and special purpose vehicles shall ensure that a child, up to age of twelve years, carried in the vehicle is seated in an appropriate child restraint system conforming to AIS: 072-2009".

17. In the said rules, in Form 16, in Serial No. 4, for the words "manufacturer or dealer" the words "manufacturer or dealer of automobiles or automobile ancillary or a test agency specified under rule 126 of the said rules" shall be substituted.

[F. No. RT-11028/06/2011-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note: —The principal rules were published vide number G.S.R. 590 (E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide number G.S.R. 277(E), dated the 11th April, 2014.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054